16/11/2022

पत्रा० आज पेश हुई प्रार्थी वकील उपस्थित-
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA की बहस-
उभयपक्षीय प्रार्थी को सुनी गयी प्रार्थी अधिवक्ता-
द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया।
पत्रा० पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन-
किया गया तो पाया कि-

(1) प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत
धारा 53/188 RTA का विभाजन का पेश किया
गया है। जिसके बाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
212 RTA का पेश किया है जिसमें मेढ सं. 2 में
वर्णित आराजी बाबत ग्राम रायपुर तह. ...
पर स्पष्ट है कि विवादित आराजी
प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की सह खातेदारों की
सम्मिलित काश्त की आराजी है जिस आराजी
पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण रिकॉर्ड खातेदार है,
जिसका अभी कानूनी रूप से विभाजन नहीं
हुआ है। तथा आराजी पर मुताबिक मनमर्जी
अनुसार काबिज काश्त है। जब तक कानूनी
रूप से विभाजन नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक
सह खातेदार का प्रत्येक इंच पर पर अपना-
अपना हिस्सा निहित होता है। अतः आराजी-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	का कानूनी रूप से विभाजन नहीं हो जाता है। तब तक आराजी को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अतः प्रारम्भिक केस प्रार्थी के हक में मजबूत है। (2) सुविधा का सन्तुलन :- प्रारम्भिक केस प्रार्थी के हक में है तो सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के हक में है। (3) अपूरणीय क्षति :- चूंकि विवादित आराजी अविभाजित आराजी है अगर स्थगन से अप्रार्थीगणों को पाबन्द नहीं किया जाता है तो आराजी का स्वरूप बदलने का अंदेशा रहेगा जो अपूरणीय क्षति होगी। उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रारम्भिक केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है। अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजी पर वापसीस तह. नदबई पर जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 14/8/20 इस आशय के साथ कन्फर्म किया जाता है कि प्रार्थी सीताराम व रामखिलाड़ी पुत्र कं. भगवती के हिस्से तक की आराजी पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी, मदाखलत, मजाहमत ना करने हेतु पाबन्द किया जाता है तथा विवादित मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश किया जाता है तथा पत्रावली कोर्ट खातेदार नम्बर से खारिज कर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)